




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-बुन्देलखण्ड-01

बी-1 तालपुरा योजना, झांसी

Email ID: upavp.ihs@gmail.com



पत्र सं... 1170

/ नि०ख०, बुन्देलखण्ड-1/ AC-9/35

दिनांक... 03-07-2025

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से जनपद झांसी में अवरथापना मद के अन्तर्गत कार्य हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से टू बिड पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है एवं निम्नांकित विवरण के अनुसार निविदा खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रकाशित होने के बाद <https://etender.up.nic.in> पर निविदा का समर्त विवरण आंनलाइन उपलब्ध होगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय बिड का परिणाम भी <https://etender.up.nic.in> पर आन-लाइन उपलब्ध रहेगा।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य / फीस	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	4	5	6	7
1	अवरथापना निधि के अन्तर्गत जनपद झांसी में तालपुरा रोड आवास विकास योजना, झांसी में सड़कों की मरम्मत/सुदृढीकरण का कार्य, नगर निगम, झांसी मौजा में पैरामेडिकल बाउण्ड्रीवाल के पीछे आर.सी.सी. नाले का निर्माण कार्य, योजना सं०-३, झांसी के पास से टांकोरी मार्ग तक सड़क का सुदृढीकरण कार्य, एन.एच.-२७ से मैरी रोड १.५ कि.मी. लम्बाई तक सड़क के सुदृढीकरण का कार्य, नगर निगम वार्ड नं०-३१ झांसी के अन्तर्गत एस.पी. त्रिपाठी के घर से मॉ लहर की देवी चौराहा तक सड़क के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य, तालपुरा योजना झांसी के नवीन पार्क का निर्माण कार्य एवं तालपुरा योजना झांसी के पार्क के सुदृढीकरण का कार्य।	579.17	11.58	7500+ 18% GST	06 माह

महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

Document Download Start Date	दि० 04.07.2025 समय सायं 05:00 बजे।
Document Download end Date	दि० 02.08.2025 समय अपरान्ह 03:00 बजे।
Bid Submission Start Date	दि० 04.07.2025 समय सायं 05:00 बजे।
BidSubmission/Closing Date	दि० 02.08.2025 समय अपरान्ह 03:00 बजे।
Technical Bid Opening Date	दि० 02.08.2025 समय अपरान्ह 03:30 बजे।
Financial Bid Opening Date	तकनीकी बिड के परीक्षणोपरान्त वित्तीय बिड खोली जायेगी।

धरोहर धनराशि एवं ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

1	खाता धारक का नाम :-	Executive Engineer, C.D.&BundelKhand-01, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Jhansi
2	बैंक का नाम / शाखा :-	PUNJAB NATIONAL BANK, CIVIL LINE JHANSI.
3	बचत खाता संख्या :-	3672001800000038
4	आई.एफ.एस.सी. कोड :-	PUNB0367200

ई-निविदा के संबंध में नियम व शर्तें :-

- निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अगल आर.टी.जी.एस. के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा (Credit) करना आवश्यक है। यदि किसी ठेकेदार/ फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (परिषद में) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप में देय होगी। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है।

2. निविदा से संबंधित प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार निर्धारित बैंक खाते में जमा (Credit) की जायेगी। नियत तिथि व समय तक खाते में उक्त बांधित धनराशि जमा (Credit) होने की पुष्टि न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों की जनरल सिक्योरिटी होने पर धरोहर धनराशि में नियमानुसार छूट देय होगी।
3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा, तथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, तकनीकी बिड में सफल निविदाओं को अपलोड करने के उपरान्त सूचित किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र /धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर.टी.जी.एस. के यूटीआर. के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
6. ई-निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड भी इसी बेवसाइट से किया जायेगा। सक्षम सेवा प्रदाता से उपलब्ध कराये गये डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों द्वारा ही आंनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
7. निविदा की वैधता ई-निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 03 माह की होगी, जिसके लिए निर्धारित ई-निविदा के साथ रु0 100.00 का नान जुड़िशियल स्टाम्प पेपर रु0 1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें, बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबंध गठन हेतु नवीनतम् शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। अनुबंध गठन के समय रु0 100.00 के नान जुड़िशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
11. उ0प्र0 शासन के नवीनतम् शासनादेश के अनुसार कार्यों के डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि अन्तिम बीजक अथवा संबंधित विभाग को हस्तगत तिथि से जो भी पहले हो की तिथि से तीन वर्ष होगी।
12. निविदा के बी.ओ.क्यू. की दरों में जी.एस.टी. सम्मिलित नहीं है। जी.एस.टी. के अलावा अन्य कर जैसे लेबर सेस, रायल्टी, इन्कम टैक्स इत्यादि सम्मिलित हैं जिसकी कटौती नियमानुसार भुगतान से कटौती की जायेगी।
13. निविदाओं से संबंधित अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस पर अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-बुन्देलखण्ड-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी-1, तालपुरा योजना, झासी के कार्यालय से देखी जा सकती हैं। निविदाओं की सूचना परिषद की बेवसाइट www.upavp.in पर देखी जा सकती है।
14. समस्त कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक बारचार्ट के अनुसार प्राप्त की जायेगी। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्यूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यावाही की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. निविदादाता/फर्म को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति ई-निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है तथा उनके सभी देयकों से आयकर, एवं अन्य कर जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
17. ई-निविदा स्वीकृति/अनुबंध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भू-माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा उसे प्रदान किया गया अनुबंध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा उसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी। परफोर्मेंस गारंटी की ई-निविदा स्वीकृति के पूर्व जमा करना होगा।
18. उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुभाग-2 पत्र संख्या-622/23-2012-2 आडिट/08 टी दिनांक 08.06.2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक-1282/एम.-2/ दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत 10प्रतिशत कम दरों तक 0.5प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर तथा 10प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारन्टी एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) जमा के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
19. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। अतः ई-निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
20. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों पर स्वप्रमाणित कर हस्ताक्षर करने होंगे, निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा, यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाला जायेगा। सुसंगत धाराओं में एफ.आइ.आर. दर्ज करायी जायेगी।
21. निविदादाता को ई-निविदा स्वीकृत की दशा में अनुबंध पूर्व ई-निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत (10प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में, अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-बुन्देलखण्ड-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, बी-1, तालपुरा योजना, झासी के पक्ष में वन्धक बनाकर जमा करनी होगी अथवा ई-निविदा स्वीकृत अधिकारी द्वारा अनुमन्य सीमा तक जमा करनी होगी।
22. आवश्यकतानुसार अथवा उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के समय सैमिल वाह्य संस्थान/लैब से कराने पर आने वाले व्यय की कटौती देयकों से की जायेगी।
23. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी हेतु फर्म एम.एम.-11/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही विल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार विल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दि 15.10.15 के अनुपालन में फर्म/निविदादाता नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करते हैं तो निर्धारित रायल्टी का पांच गुना फर्म/निविदादाता के देयक से वसूली की जायेगी।
24. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा जिनके द्वारा कार्य पूर्ण न करने अथवा अन्य कारणों से डेविटेल एजेंसी लगायी गयी है अथवा प्रस्तावित है, की निविदा अयोग्य मानते हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. यदि किसी कारणवश ई-निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो ई-निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

26. कराये जाने वाले कार्यों में मौके की स्थिति के अनुसार कार्य रथल एवं कार्य की मात्रा/मद्दों में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- *27. सर्वान्वय नहीं होगी।
28. कार्य/अनुबंध का अन्तिम वीजक का निस्तारण कार्य की गुणवत्ता की जांच उपरान्त एवं कार्य को संबंधित विभाग को हस्तगत के उपरान्त ही नियमानुसार किया जायेगा।
29. ठेकेदार इन-निविदा डालने से पूर्व कार्यरथल का निरीक्षण यथा पहुँचमार्ग, पानी की उपलब्धता इत्यादि का आंकलन व निरीक्षण स्वयं भली-भृति आवश्यक रूप से कर ले, इस संबंध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
30. इन-निविदा में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र/दरतावेजों के रात्यापन हेतु निविदा की विड खोलने के उपरान्त आवश्यकतानुसार मूल प्रति कमेटी द्वारा परीक्षण हेतु मांग की जा सकती है।
31. कराये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। शासन रत्तर से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान के विलम्ब से संबंधित कोई दाया / क्लेम मान्य नहीं होगा।
32. दीमकरोधी उपचार, विद्युत संबंधी कार्य एवं फायर फाइटिंग व अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से फर्म द्वारा स्वयं उपलब्ध कराया जाना होगा।
33. समरत कार्य शासन/जिला प्रशासन/परिपद द्वारा किसी भी महामारी अथवा निर्गत अन्य आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन शत-प्रतिशत किया जायेगा। जिस हेतु कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. कार्य में प्रयुक्त सामग्री/कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यरथल पर क्वालिटी कंट्रोल मैन्युअल के अनुरूप "क्वालिटी कन्ट्रोल लैब" नियमानुसार रथपित करनी होगी।
35. सड़क निर्माण कार्य हेतु हाट मिक्स प्लांट का स्वागित्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा अथवा ₹ 100.00 के स्टाम्प पेपर पर हाट मिक्स प्लांट के रवानी से इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि निविदा स्वीकृत होने की दशा में संबंधित फर्म को पूर्ण विशिष्टियों के अनुसार सड़क मटैरियल (विद्युमिन कार्य हेतु) उपलब्ध कराया जायेगा।

पृष्ठांकित:-

1170

AC-9
/ उपरोक्तानुसार/ 35

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक 03-7-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित -

1. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद, लखनऊ।
2. समरत अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद।
3. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया निविदा सूचना परिपद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का काट करें।
4. नोटिस वोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता